भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4733

28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

महाराष्ट्र में चिकित्सा महाविद्यालय

4733. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:

श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों से लेकर आज तक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित देश में चिकित्सा महाविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र सहित देश में एमबीबीएस सीटों की संख्या में वृद्धि की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चिकित्सा महाविद्यालयों और एमबीबी एस सीटों में वृद्धि से स्वास्थ्य देख-रेख तंत्र के मजबूत होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): सरकार ने देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या और तत्पश्चात् एमबीबीएस सीटों की संख्या में वृद्धि की है। वर्ष 2020-21 में 558 मेडिकल कॉलेज थे जिसमें 39.78% की वृद्धि हुई है, जिससे अब तक की स्थिति के अनुसार मेडिकल कॉलेज की संख्या 780 हो गई है, जिसमें महाराष्ट्र में 80 और मध्य प्रदेश में 31 मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 में 83,275 एमबीबीएस सीटों की संख्या थी जिसमें 41.93% की वृद्धि हुई है, जो अब तक की स्थिति के अनुसार 1,18,190 हो गई है, जिसमें महाराष्ट्र में 11846 एमबीबीएस सीटें और मध्य प्रदेश में 5200 एमबीबीएस सीटें शामिल हैं।

देश में स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ उपाय/कदम इस प्रकार हैं: -

i. जिला/रेफरल अस्पतालों को उन्नत करके नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) तहत 157 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 131 पहले से ही कार्यशील हैं।

ii. एमबीबीएस (यूजी) और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार

के मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़/उन्नत करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। इन योजनाओं के तहत देश के 83 कॉलेजों में 4977 एमबीबीएस सीटें, चरण-I में 72 कॉलेजों में 4058 पीजी सीटें और चरण-II में 65 कॉलेजों में 4000 पीजी सीटें बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान की गई है।

iii. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के विनिर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के अंतर्गत कुल 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 71 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

iv. नए एम्स की स्थापना के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 22 एम्स को मंजूरी दी गई है। इनमें से 19 में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू हो चुके हैं।

v. संकाय की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षण संकाय के रूप में नियुक्ति हेतु डीएनबी योग्यता को मान्यता दी गई है।

vi. मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों/डीन/प्रधानाचार्य/निदेशक के पदों पर नियुक्ति/विस्तार/पुनर्नियुक्ति के लिए आयु सीमा को 70 वर्ष तक बढ़ाया जाना।

*****